

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज अपील संख्या 63/2024 बनवान सुगणीदेवी वगैरा बनाम दुंगरसिंह वगै.</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर</b></p> <p style="text-align: center;">पीठारीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस</p> <p style="text-align: center;"><b>—:आदेश:—</b></p> <p style="text-align: right;">दिनांक 29.07.2025</p> <p>उपस्थिति:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी</li> <li>2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से श्री सुखदेव पटेल।</li> </ol> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। प्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी कब्जा-काशत की भूमि पुराने खसरा संख्या 164/5, खसरा संख्या 164/6 एवं खसरा संख्या 164/7 की राजस्व रिकार्ड नक्शा किशतवार में जिस जगह तरमीम दर्ज थी, और जिस जगह प्रार्थीगण/अपीलांट का कब्जा-काशत रहा है व है, के स्थान पर विप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट्स के खसरा संख्या 236/164 एवं 331/164 की तरमीम अवैध एवं अनुचित तरीके से बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कर दी गयी है। इस अनुचित आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में की गयी है। गलत तरमीम को आधार बना कर गलत पड़ौस अंकित कर अनजान व्यक्तियों को भूमि का बैचान किया जा सकता है। अपीलांट को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काशत में दखलंदाजी कर</p>	

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

रहे हैं तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काशत में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपीलांटस की अपील को रवीकार फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर वहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील मेंटेनेवल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होंगे। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथारिथिति बनाये रखी जावे या नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कही भी स्पष्ट नहीं है। तरमीम दुरस्ती का दावा सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत कर दिया गया है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर वहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/11/2024  
(नवनीत कुमारी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर